कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER PROVL. DIVISION
P.W.D BHATWARI (UTTARKASHI) PIN- 249135
E.Mail-eepwdbhatwari @rediffmail.com Fax No-01374-244321

पत्रांक 1598/ 2 भू०अ० दिनांक 18 12 / 2019

सेवानें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग,
उत्तरकाशी।

विषय :— जनपद उत्तरकाशी में बोंगा से कियाण गॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.35 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (FP/UK/Road/18147/2016).

सन्दर्भ :— EDS Dated 28/11/2019. (Bhagirathi Circle. Muni ki reti).

महोदय,

प्रोजल सं0– FP/UK/Road/18147/2016 जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी के अन्तर्गत बोंगा से कियाण गॉव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लगी आपत्ति का निराकरण निम्न प्रकार है :–

आपत्ति :– के0एम0एल0 फाईल0 में दर्शाये गये अन्तिम गॉव पूर्व में ही मोटर मार्ग पर स्थित है।

निराकरण :– ग्राम कियाण गॉव जो कि ग्राम सभा बोंगा का एक तोक है, जिसकी आबादी लगभग 90 है। जो कि वर्तमान में किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुडा है, इस ग्राम हेतु वर्तमान में मार्ग की संयोजकता नहीं है। उक्त असंयोजित ग्राम/तोक को 2.00 किमी लम्बाई के मोटर मार्ग से जोड़ा जाना है। वर्तमान में ग्राम (तोक) कियाण गांव के ग्रामवासियों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं एवं अपनी कृषि उत्पादों को रोड हैड तक पहुचाने हेतु लगभग 2.00 किमी0 की पैदल दूरी तय करनी पडती है। मोटर मार्ग के आभाव में क्षेत्र वासियों को उचित चिकित्सा सेवायें नहीं मिल पा रही है, जिस कारण गर्भवती महिलाओं एवं अन्य रोगियों का जीवन जोखिम में बना रहता है। मोटर मार्ग से असंयोजकता के कारण क्षेत्रीय जनता अवस्थापना सुविधाओं से वंचित है तथा पिछडेंपन का शिकार है। ग्रामवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन है। ग्रामवासियों द्वारा अपनी नकदी फसलें तथा फल व सब्जी यथा संतरें, अदरक, आलू, नींबू इत्यादि को रोड हैड तक पैदल अथवा खच्चरों से लाया जाता है तथा उनके उत्पादों का उन्हें सही लाभ नहीं मिल पाता है। मोटर मार्ग से संयोजकता हो जाने के उपरान्त ग्रामवासियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में प्रगति होने व साथ–साथ गांव से नव युवकों का पलायन रुकेगा। मार्ग निर्माण में प्रभावित 1.35 है0 वन भूमि जो कि सर्वेक्षण के पश्चात चिन्हित की गयी है, न्यूनतम है तथा समरेखन को इस प्रकार से प्रस्तावित किया गया है कि वृक्षों का न्यूनतम पातन हों। इस प्रस्तावित समरेखण के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक समरेखण नहीं है जिसमें इससे कम वृक्षों का पातन हों। उक्त प्रस्तावित मार्ग का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। लम्बे समय से यहा के ग्रामवासियों तथा जनप्रतिनिधियों की मांग है कि मोटर मार्ग का यथा समय निर्माण कराया जाय।

भू–गर्भवेत्ता की निरीक्षण आख्या से भी स्पष्ट होता है कि इस प्रस्तावित समरेखण में मार्ग निर्माण भूगर्भ की दृष्टि से सुरक्षित है। समरेखण में कोई भी कब्र स्थान, अन्त्येष्टि स्थल, धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातत्व व नेशनल पार्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल या स्थान प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगोचर रखते हुये जनहित में 1.35 है0 वन भूमि को मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

भवदीय

(हस्ताक्षर) 18/12/19
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
भटवाड़ी।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1:– अपर मुख्य वन संरक्षक नोडल कार्यालय भूमि संरक्षण निदेशालय इन्दिरानगर देहरादून।

2:– अधीक्षण अभियन्ता, छठा वृत्त, लो0नि0वि0,उत्तरकाशी।

3:– वन संरक्षक भागीरथी वृत्त, उत्तराखण्ड, मुनिकीरेती ऋषिकेश ।

4:– सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 भटवाड़ी।

(हस्ताक्षर) 18/12/19
अधिशासी अभि0
प्रान्तीय खण्ड लो0
भट0

Scanned by CamScanner